

147c

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :-

10.2.2014

श्री राधा रमण सिंह, पिता-स्व० हरिद्वार प्रसाद सिंह, सा०-फुलपुरा, पो०-मनकीपुर, थाना-धनरूआ, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-469/2008 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1189/गो०, दिनांक-06.06.2010 द्वारा थानाध्यक्ष के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, धनरूआ के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं देने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे सेवानिवृत्त डाक सहायक हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। आवेदक आवकाश प्राप्त वृद्ध हैं। इसलिए उन्हें आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन०पी०बोर रिवाल्वर हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री राधा रमण सिंह, पिता-स्व० हरिद्वार प्रसाद सिंह, सा०-फुलपुरा, पो०-मनकीपुर, थाना-धनरूआ, जिला-पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

~~जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन - श्री राधा रमण सिंह पिता-स्व० हरिद्वार प्रसाद सिंह सा० फुलपुरा पो० मनकीपुर थाना-धनरूआ जिला-पटना के एन०पी०बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1189/गो०, दिनांक-06.06.2010 द्वारा थानाध्यक्ष के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, धनरूआ के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति नहीं देने की अनुशंसा की गयी है। थानाध्यक्ष, फुलवारीशरीफ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे सेवानिवृत्त डाक सहायक हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका-10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। आवेदक आवकाश प्राप्त वृद्ध हैं। इसलिए उन्हें आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गयी है।~~

पटना, 2014